शासकीय एम.एम.आर. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चाम्पा
जिला :– जांजगीर–चांपा (छ.ग.)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के प्रमुख प्रावधान

वर्तमान सत्र 2024–25 से सभी स्नातक प्रथम वष के नियमित/स्वाध्यायी विद्याथियों पर लागू –

- तीन वर्षाय/चार वर्षाय स्नातक पाठ्यक्रम।
- प्रत्येक वर्ष में दो सेमेस्टर परीक्षाएं।
- प्रत्येक सेमेस्टर में 90 दिन अथवा 15 सप्ताह का अध्ययन आवश्यक।
- प्रत्येक सेमेस्टर का पाठ्यक्रम 20 क्रडिट में विभाजित (CBCC – Credit Based Course Curriculum)।
- प्रत्येक क्रेडिट का तात्पर्य 15 घंटे (प्रति सप्ताह 1 घंटा) का क्लासरूम अध्ययन।
- प्रायोगिक विषयों/फोल्ड वर्क मे प्रत्येक क्रेडिट का तात्पर्य 30 घंटे (प्रति सप्ताह 2 घंटा)।
- प्रत्येक समेस्टर के मूल्यांकन में 30 प्रतिशत आंतरिक मूल्यांकन तथा 70 प्रतिशत बाह्य परीक्षा।
- उत्तीर्ण होने के लिए 40 प्रतिशत अंक की आवश्यकता।
- परीक्षा परिणाम में प्रतिशत के स्थान पर ग्रेड प्रणाली का समावेश।
- एक वष (दो सेमेस्टर) पूर्ण करने के पश्चात् अध्ययन से पृथक होकर पुनः बाद में अगले सेमेस्टर में प्रवेश लेने की पात्रता (Multiple Entry & Exit)।
- कला/वाणिज्य/विज्ञान (बायो/गणित) संकायों के तीन विषयों (DSC) के साथ अन्य संकाय के प्रति सेमेस्टर एक विषय (GE) चयन की सुविधा। साथ ही तृतीय सेमेस्टर में अपने संकाय के विशेष विषय (DSE) का अतिरिक्त अध्ययन का समावेश (CBCS – Choice Based Credit System) ।
- प्रथम तीन सेमेस्टरों में प्रति सेमेस्टर अंग्रेजी भाषा/हिन्दी भाषा/पयार्वरण अध्ययन – योग्यता सवर्धन पाठ्यक्रम (AEC) मे से क्रमशः एक–एक विषय चयन करने की आवश्यकता ।
- तीन वर्ष (06 सेमेस्टर) कुल 120 क्रेडिट उत्तीर्ण करने पर स्नातक की उपाधि तथा 4 वष (08 सेमेस्टर) 160 क्रेडिट उत्तीर्ण करने पर स्नातक (आनस) एव 164 क्रेडिट उत्तीर्ण करने पर स्नातक (आनर्स एवं रिसच) की उपाधि।
- 1 वष (02 सेमेस्टर) कुल 40 क्रेडिट उत्तीर्ण कर अध्ययन से पृथक हो जाने पर सर्टिफिकेट की पात्रता। 04 अतिरिक्त क्रेडिट आनलाइन पोर्टल से अर्जित करने की आवश्यकता होगी।
- 2 वर्ष (04 सेमेस्टर) कुल 80 क्रेडिट उत्तीर्ण कर अध्ययन से पृथक हो जाने पर डिप्लोमा की पात्रता।
- (ABC) एकेडमिक बैंक आफ क्रेडिट के रूप में विद्यार्थी का प्रतिवष अर्जित क्रेडिट अंक डिजिटल रूप में स्टोर होगा।
- स्वाध्यायी परीक्षार्थियों के लिए भी प्रत्येक सेमेस्टर में आंतरिक मूल्यांकन में उपस्थिति अनिवार्य होगी।
- पूर्नमूल्यांकन एवं पूरक परीक्षा का प्रावधान नहीं रहेगा।